196

39

# राजस्थान सरकार
# प्रशासनिक सुधार विभाग
# (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

क्रमांक प. 7(1)प्रसु/सूअप्र/2014

जयपुर, दिनांक 18-5-2015

## परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुये 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकांश लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है। इस सन्दर्भ में आपका ध्यान विशेष तौर पर अधिनियम की धारा 4 के निम्न प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है:–

धारा 4(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी– (क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति ओर रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर (Facilitate) बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुये कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्व है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुच को सुकर (Facilitate) बनाया जा सकें।

धारा 4(1)(ख) के अनुसार अधिनियम से एक सौ बीस दिन के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण 17 बिन्दुओं की सूचना प्रकाशित करेगा (वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा) तथा इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन रखेगें।

अधिनियम के उक्त महत्वपूर्ण प्रावधान की पालना अधिकांश लोक प्राधिकारियों द्वारा या तो की ही नहीं गई है यदि की है तो वह पूर्णतया नहीं है अथवा अद्यतन नहीं है जबकि इसकी पूर्ण पालना कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर आदेश/परिपत्र जारी कर सभी लोक प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता रहा है।

अतः अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम/संस्थाओं द्वारा अधिनियम के इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पालना सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश वर्मा)
अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान जयपुर।
9. प्रबन्धक, राजकोम, योजना भवन, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट www.ard.rajasthan.gov.in पर प्रकाशनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव